अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या–69 / आठ–1–10–134रिट / 09

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

(1) आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

(2) उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

(3) अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2010

विषयः– उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में एस0टी0पी0 की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–238 / 9–आ–1–समीक्षा बैठक / 510(आ0ब0), दिनांक 25.10.2004, संख्या–261 / 9–आ–1–सीवेज प्लान्ट / 2004 / (आ0ब0), दिनांक 17.11. 2004 एवं संख्या–6265 / आठ–1–2004–67बैठक / 2004, दिनांक 03.12.2004 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– उल्लेखनीय है कि वर्तमान परिवेश में नदियों के जल की गुणवत्ता बनाये रखना आवश्यक है। नदियॉ न सिर्फ कृषि के लिए महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन हैं, अपितु मानव के लिए जीवनदायिनी के रूप में पीने का पानी भी उपलब्ध कराती है। तीव्र नगरीयकरण एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आवासीय कालोनियों का प्रदूषित जल नालों द्वारा नदियों में जाकर नदी जल को प्रदूषित कर रहा है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि नियोजित क्षेत्रों में बसने वाली कालोनियों के प्रदूषित जल को नदियों में गिरने से रोका जाय।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक्विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियों में एस0टी0पी0 व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाय। ऐसी कालोनियॉ जो पूर्व में विकसित हो चुकी हैं और वहॉ पर एस0टी0पी0 व्यवस्था लागू नहीं है, उनमें शीघ्र एस0टी0पी0 की व्यवस्था की जाय। कृपया इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही करते हुए प्रगति से शासन को अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग / ग्राम्य विकास विभाग / राजस्व विभाग / पर्यावरण विभाग / सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक , नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
6. निदेशक, अनुश्रवण, आवास बन्धु को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे वेबसाइट पर अप–लोड करते हुए समस्त संबंधितों को सूचित करना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

G.O. 3